NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 13-06-2026

विषय सूची

FCRA : नागरिक समाज पर राज्य नियंत्रण का विस्तार

दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो एवं संबद्ध सेवाएँ) नियम, 2026 का प्रारूप

52वें जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की सहभागिता

भारत-नेपाल संबंधों में एक नया चरण

भारत के रोजगार परिदृश्य का मानचित्रण

संक्षिप्त समाचार

- अल नीनो
- एस्टोनिया
- प्रोजेक्ट कुशा
- स्वदेशी एआई मॉडल 'वार्या' (Varya)
- निकोबार के पश्चिमी तट पर प्रवाल (Coral) स्थानांतरण हेतु चार स्थलों की पहचान
- एपिक्लोरोहाइड्रिन

FCRA : नागरिक समाज पर राज्य नियंत्रण का विस्तार

संदर्भ

- लोकसभा में **विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (FCRA), 2026** के प्रस्तुत किए जाने से नागरिक समाज संगठनों के समक्ष गंभीर व्यवधान की आशंकाएँ उत्पन्न हो गई हैं।
    - विधेयक द्वारा एक नामित प्राधिकरण को संपत्तियों को अधिग्रहण करने संबंधी व्यापक शक्तियाँ प्रदान किए जाने से सामाजिक क्षेत्र के कार्यकलापों के बाधित होने की संभावना है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010

- FCRA का उद्देश्य विदेशी अंशदानों की स्वीकृति एवं उपयोग को विनियमित करना तथा राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों पर रोक लगाना है।
- इसे प्रथम बार वर्ष 1976 में अधिनियमित किया गया था, जिसे वर्ष 2010 में प्रतिस्थापित किया गया तथा बाद में 2016, 2018 और 2020 में संशोधित किया गया।
- इसका प्रशासन **गृह मंत्रालय (MHA)** द्वारा किया जाता है।
- FCRA पंजीकरण की वैधता 5 वर्ष होती है तथा इसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है।
- वर्तमान में लगभग 16,000 गैर-सरकारी संगठन (NGOs) FCRA के अंतर्गत पंजीकृत हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष लगभग ₹22,000 करोड़ का विदेशी अंशदान प्राप्त होता है।

2026 के संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **परिसंपत्ति प्रबंधन हेतु नामित प्राधिकरण:** विधेयक विदेशी वित्तपोषित परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक **नामित प्राधिकरण** की स्थापना का प्रस्ताव करता है।
    - किसी संगठन का पंजीकरण रद्द होने, स्वेच्छा से समर्पित किए जाने, समाप्त होने अथवा नवीनीकृत न होने की स्थिति में यह प्राधिकरण विदेशी अंशदानों एवं परिसंपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा।
- **परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण:** यदि पंजीकरण पुनः पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है, तो सरकार संबंधित परिसंपत्तियों को किसी सरकारी विभाग को हस्तांतरित कर सकती है।
    - सरकार इन परिसंपत्तियों की बिक्री भी कर सकती है तथा उससे प्राप्त राशि **भारत की संचित निधि** में जमा की जाएगी।
- **पंजीकरण का स्वतः समाप्त होना:** विधेयक में नई धारा 14B जोड़ी गई है, जिसके अंतर्गत FCRA पंजीकरण की **"मानी गई समाप्ति"** का प्रावधान किया गया है।
    - निम्नलिखित परिस्थितियों में पंजीकरण स्वतः समाप्त माना जाएगा—
        - संगठन नवीनीकरण के लिए आवेदन न करे।
        - नवीनीकरण आवेदन अस्वीकृत हो जाए।
        - नवीनीकरण के बिना वैधता अवधि समाप्त हो जाए।
- **निधियों के उपयोग हेतु समयबद्ध व्यवस्था:** विदेशी निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग के लिए अनिवार्य समय-सीमा निर्धारित की गई है।
    - इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शिता को सुदृढ़ करना है।
- **निलंबन अवधि के दौरान प्रतिबंध:** निलंबित संगठन अपनी विदेशी वित्तपोषित परिसंपत्तियों को बेच, हस्तांतरित अथवा गिरवी नहीं रख सकेगा।
    - ऐसे किसी भी कार्य हेतु पूर्व सरकारी अनुमति आवश्यक होगी।
- **जाँच पर केंद्रीकृत नियंत्रण:** मूल अधिनियम की धारा 43 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी अथवा राज्य सरकार को FCRA उल्लंघनों की जाँच प्रारंभ करने से पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- **दंड प्रावधानों का युक्तिकरण:** अधिनियम के उल्लंघन पर दंड की कठोरता को कम किया गया है।
    - अधिकतम दंड को पाँच वर्ष के कारावास से घटाकर एक वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों कर दिया गया है।

- **व्यक्तिगत उत्तरदायित्व:** "मुख्य पदाधिकारी" की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें निदेशक, साझेदार, न्यासी, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) का कर्ता, सोसाइटी/ट्रस्ट/ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी तथा प्रबंधन पर नियंत्रण रखने वाले अन्य व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
  - उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा, जब तक कि वे यह सिद्ध न कर दें कि उन्हें उल्लंघन की जानकारी नहीं थी अथवा उन्होंने उचित सावधानी बरती थी।
- **परिसंपत्तियों का स्थायी सरकारी स्वामित्व:** यदि कोई संगठन बंद हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है अथवा अस्तित्व में नहीं रहता, तो उसकी विदेशी वित्तपोषित परिसंपत्तियाँ नामित प्राधिकरण के माध्यम से स्थायी रूप से सरकार के अधीन चली जाएँगी।

विदेशी अंशदानों का विनियमन क्यों आवश्यक है?

- विदेशी हस्तक्षेप से राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता की रक्षा हेतु।
- धन-शोधन तथा अवैध गतिविधियों में धन के दुरुपयोग को रोकने हेतु।
- यह सुनिश्चित करने हेतु कि विदेशी निधियों का उपयोग केवल विकासात्मक एवं परोपकारी उद्देश्यों के लिए हो।
- गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही स्थापित करने हेतु।
- चुनावी प्रत्याशियों, पत्रकारों, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों तथा राजनीतिक संगठनों को विदेशी वित्तपोषण से रोकने हेतु, जो FCRA के अंतर्गत निषिद्ध है।

विदेशी अंशदानों के विनियमन से संबंधित चिंताएँ

- **प्रशासनिक विलंब:** पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रायः समय-साध्य होती है, जिससे NGOs की निधियों तक पहुँच एवं गतिविधियों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका:** NGOs का पंजीकरण रद्द करने अथवा उनके बैंक खातों को फ्रीज़ करने संबंधी सरकार की विवेकाधीन शक्तियों को राजनीतिक हस्तक्षेप का माध्यम माना जाता है।
- **पारदर्शिता का अभाव:** कुछ NGOs पर विदेशी अंशदानों के उपयोग में पर्याप्त पारदर्शिता न रखने के आरोप लगाए गए हैं।
  - विशेष रूप से तब चिंताएँ उत्पन्न होती हैं जब इन निधियों के उद्देश्य एवं लाभार्थियों की स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती।

आगे की राह

- सरकार को FCRA के अंतर्गत अनुमोदन प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना चाहिए।
- नियामक निगरानी तथा नागरिक समाज संगठनों की स्वायत्तता के मध्य संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।
- शक्तियों के मनमाने प्रयोग को रोकने के लिए न्यायिक एवं संस्थागत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

Source: TH

दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो एवं संबद्ध सेवाएँ) नियम, 2026 का प्रारूप

संदर्भ

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो तथा संबंधित सेवाओं से संबंधित **प्रारूप दूरसंचार नियम, 2026** को सार्वजनिक परामर्श हेतु जारी किया है।

पृष्ठभूमि

- **दूरसंचार अधिनियम, 2023** ने औपनिवेशिक कालीन **भारतीय टेलीग्राफ़ अधिनियम, 1885** का स्थान लिया है।
- अधिनियम के अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो एवं संबद्ध प्रसारण सेवाओं से संबंधित प्रावधानों का प्रशासन **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB)** द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान में DTH, एफएम रेडियो, सामुदायिक रेडियो, IPTV, HITS तथा उपग्रह टेलीविजन चैनलों जैसी विभिन्न प्रसारण सेवाएँ अलग-अलग समय पर जारी पृथक नीतिगत दिशानिर्देशों द्वारा संचालित होती हैं।

- प्रारूप नियम विभिन्न प्रसारण प्लेटफॉर्मों को नियंत्रित करने वाले इन विविध नीतिगत दिशानिर्देशों को एकीकृत करते हैं।

प्रारूप नियमों की प्रमुख विशेषताएँ

- **एकीकृत नियामक ढाँचा:** प्रारूप नियम प्रसारण सेवाओं को नियंत्रित करने वाले अनेक वर्तमान दिशानिर्देशों के स्थान पर एक **एकल नियामक ढाँचे** का प्रस्ताव करते हैं।
- **अनुमति प्रदान करने संबंधी समझौते (GOPA) की समाप्ति:** अनुमति प्रदान करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
  - इस सुधार का उद्देश्य प्रशासनिक भार को कम करना तथा अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
- **लोकहित संबंधी दायित्व:** टेलीविजन चैनलों को प्रतिदिन **30 मिनट** राष्ट्रीय महत्व एवं सामाजिक प्रासंगिकता वाले विषयों पर आधारित सामग्री का प्रसारण करना होगा।
  - निजी रेडियो स्टेशनों को प्रतिदिन **एक घंटा** ऐसी सामग्री के प्रसारण के लिए समर्पित करना होगा।
  - इसके अतिरिक्त, रेडियो स्टेशनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके दैनिक कार्यक्रमों का कम-से-कम **20 प्रतिशत भाग स्थानीय सामग्री** पर आधारित हो।
- **डिजिटल कार्यान्वयन:** प्राधिकरण प्रदान करने की प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लागू किया जाएगा।

प्रारूप नियमों के अंतर्गत एकीकृत दिशानिर्देश

- भारत में उपग्रह टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग संबंधी दिशानिर्देश, 2022
- डायरेक्ट-टू-होम (DTH) प्रसारण सेवाओं संबंधी दिशानिर्देश, 2001
- हेडएंड-इन-द-स्काई (HITS) प्रसारण सेवाओं संबंधी दिशानिर्देश, 2009
- निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो सेवाओं के विस्तार (चरण-III) संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश, 2011
- सामुदायिक रेडियो स्टेशनों हेतु संशोधित नीतिगत दिशानिर्देश, 2024
- इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (IPTV) सेवाओं संबंधी दिशानिर्देश, 2008

प्रारूप नियमों का महत्व

- **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस :** ये नियम नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं तथा प्रसारकों पर अनुपालन संबंधी भार को कम करते हैं।
- **डिजिटल सुशासन:** डिजिटल प्राधिकरण प्रक्रिया सरकार के व्यापक **डिजिटल सुशासन** के उद्देश्य के अनुरूप है।
- **प्रसारण क्षेत्र का विकास:** एक सरल एवं आधुनिक नियामक पारितंत्र निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे प्रसारण क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

Source: AIR

52वें जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की सहभागिता

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में आयोजित **52वें जी-7 शिखर सम्मेलन** में सहभागिता करने रहे हैं।

परिचय

- यह प्रधानमंत्री मोदी की निरंतर **सातवीं** तथा भारत की **14वीं** जी-7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी होगी, जो वैश्विक मामलों में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाती है।
- जी-7 के साथ भारत का जुड़ाव वर्ष **2003** में प्रारंभ हुआ था।
- भारत विश्व के सर्वाधिक औद्योगीकृत देशों के इस समूह में **15 बार आमंत्रित किए जाने वाला एकमात्र देश** है।

जी-7 के बारे में

- **जी-7 (ग्रुप ऑफ सेवन)** विश्व की सात सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक संगठन है।
  - ये देश विश्व की लगभग **10 प्रतिशत जनसंख्या** तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग **30 प्रतिशत** प्रतिनिधित्व करते हैं।

- **सदस्य देश:**
  - कनाडा
  - फ्रांस
  - जर्मनी
  - इटली
  - जापान
  - यूनाइटेड किंगडम
  - संयुक्त राज्य अमेरिका
  - **यूरोपीय संघ (EU)** भी जी-7 की बैठकों में भाग लेता है, किंतु उसे सात सदस्य देशों में शामिल नहीं किया जाता।
- **पृष्ठभूमि:** वर्ष **1975** में तेल संकट के प्रत्युत्तर में यह समूह **जी-6** (फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) के रूप में स्थापित हुआ।
  - वर्ष **1976** में कनाडा के शामिल होने के बाद यह **जी-7** बन गया।
  - वर्ष **1998** में रूस के शामिल होने पर यह **जी-8** बना, किंतु **क्रीमिया के विलय** के बाद वर्ष **2014** में रूस की सदस्यता निलंबित कर दी गई और समूह पुनः जी-7 बन गया।
- यद्यपि जी-7 के पास कोई औपचारिक विधायी शक्ति नहीं है, फिर भी इसके सदस्य वैश्विक आर्थिक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते हैं तथा अंतरराष्ट्रीय मामलों और विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली नीतियों का समन्वय करते हैं।
- **अध्यक्षता:** इसकी अध्यक्षता सात सदस्य देशों में से किसी एक द्वारा **घूर्णन आधार** पर प्रतिवर्ष ग्रहण की जाती है।

जी-7 शिखर सम्मेलन का महत्व

- **आर्थिक प्रभाव:** जी-7 में विश्व की कुछ सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं।
  - इसके सदस्य वैश्विक GDP और व्यापार का एक बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों एवं आर्थिक नीतिनिर्माण पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ता है।
- **निर्णयों का वैश्विक प्रभाव:** जी-7 शिखर सम्मेलनों में लिए गए निर्णय एवं प्रतिबद्धताएँ वैश्विक व्यापार, वित्तीय स्थिरता, जलवायु नीति तथा मानवीय सहायता प्रयासों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकती हैं।
- **संकट समन्वय मंच:** जी-7 आर्थिक मंदी, महामारी, युद्ध तथा भू-राजनीतिक तनाव जैसी वैश्विक चुनौतियों के प्रति अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के समन्वय हेतु एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
- **बहुपक्षवाद का प्रतीक:** जी-7 प्रमुख शक्तियों के बीच बहुपक्षीय सहयोग एवं सहमति-निर्माण के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है तथा नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ करता है।

जी-7 में भारत का महत्व

- **आर्थिक महत्व:** भारत विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
  - विकसित देशों में आर्थिक ठहराव के बीच भारत के वैश्विक विकास का प्रमुख प्रेरक बने रहने की संभावना है।
  - भारत का विशाल बाजार तथा जनसांख्यिकीय लाभांश इसे वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के लिए अपरिहार्य बनाता है।
- **ग्लोबल साउथ की आवाज़:** भारत विकासशील देशों की एक प्रमुख आवाज़ के रूप में उभरा है।
  - ब्रिक्स (BRICS) और जी-20 जैसे मंचों के माध्यम से भारत विकास, जलवायु वित्त, खाद्य सुरक्षा तथा ऋण स्थिरता से संबंधित चिंताओं को प्रभावी ढंग से उठाता है।
  - उत्तर-दक्षिण विभाजन को कम करने के लिए जी-7 देश भारत के सहयोग को महत्त्वपूर्ण मानते हैं।
- **हिंद-प्रशांत एवं सामरिक स्थिरता:** भारत की भौगोलिक स्थिति एवं क्षमताएँ उसे एक **मुक्त, खुला एवं समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र** बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका प्रदान करती हैं।
  - चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भारत एक महत्त्वपूर्ण साझेदार है।

- समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सहयोग एवं सुदृढ़ आपूर्ति शृंखलाओं के क्षेत्र में सहयोग प्रमुख प्राथमिकता बन गया है।
- **विश्वसनीय लोकतांत्रिक साझेदार:** भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
    - इसकी स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, बढ़ती तकनीकी क्षमताएँ तथा नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण इसे जी-7 देशों के लिए एक विश्वसनीय दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार बनाते हैं।

जी-7 से भारत को होने वाले लाभ

- उन्नत प्रौद्योगिकियों एवं निवेश तक पहुँच।
- महत्त्वपूर्ण खनिजों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अर्धचालकों तथा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग।
- वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधारों के लिए अधिक समर्थन।
- रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए प्रमुख शक्तियों के साथ साझेदारी को सुदृढ़ करने का अवसर।

चिंताएँ

- भारत अभी भी जी-7 की औपचारिक निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।
- प्रतिबंधों, रूस-यूक्रेन संघर्ष तथा जलवायु प्रतिबद्धताओं जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं।
- जी-7 के साथ सहभागिता बढ़ाने के साथ-साथ ब्रिक्स, रूस और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ संबंधों को संतुलित बनाए रखना भारत के लिए एक जटिल कूटनीतिक चुनौती है।

निष्कर्ष

- जी-7 में एक अवसरिक अतिथि से लगातार आमंत्रित सहभागी के रूप में भारत का विकास उसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति, भू-राजनीतिक महत्ता तथा ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरती भूमिका को दर्शाता है।
- यद्यपि औपचारिक सदस्यता वर्तमान में एजेंडे पर नहीं है, फिर भी जी-7 के साथ भारत की बढ़ती सहभागिता यह संकेत देती है कि वह उभरती हुई **बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था** को आकार देने में निरंतर अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है।

Source: IE

भारत-नेपाल संबंधों में एक नया चरण

संदर्भ

- हाल के उच्च-स्तरीय संवादों से संकेत मिलता है कि सीमा संबंधी मतभेदों के बावजूद भारत और नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रयास कर रहे हैं।

भारत-नेपाल सीमा विवाद

- भारत और नेपाल के बीच लगभग **1,751 किमी लंबी सीमा** साझा है, किंतु कुछ क्षेत्रों में सीमा विवाद अभी भी विद्यमान हैं।
- **कालापानी–लिपुलेख–लिम्पियाधुरा विवाद:** नेपाल ने अपने दावे का आधार वर्ष **1816 की सुगौली संधि** को बनाया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरु गजराज मिश्र के बीच संपन्न हुई थी।
    - इस संधि के अनुसार **काली नदी** को भारत और नेपाल के बीच पश्चिमी सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था।
    - नेपाल का दावा है कि काली नदी का उद्गम **लिम्पियाधुरा** से होता है, जिसके आधार पर **लिपुलेख** और **कालापानी** क्षेत्र नेपाल के भूभाग में आते हैं।
    - इसके विपरीत, भारत का मत है कि नदी का उद्गम कालापानी के निकट निम्नतर बिंदु से होता है, जिससे **लिपुलेख दर्रा**, जो भारत, नेपाल और चीन के मध्य एक सामरिक त्रि-जंक्शन है, भारत के **उत्तराखंड राज्य** के अंतर्गत आता है।
    - वर्षों के दौरान काली नदी की धारा में परिवर्तन होने से सीमा निर्धारण को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है।
- **सुस्ता सीमा विवाद: सुस्ता** भारत और नेपाल के बीच एक विवादित क्षेत्र है।

- वर्तमान में इसका प्रशासन भारत द्वारा **बिहार के पश्चिम चंपारण जिले** के भाग के रूप में किया जाता है।
- नेपाल का दावा है कि यह क्षेत्र **पश्चिम नवलपरासी जिले** की सुस्ता ग्रामीण नगरपालिका का हिस्सा है।
- नेपाल का आरोप है कि सुस्ता क्षेत्र में लगभग **14,860 हेक्टेयर नेपाली भूमि** पर भारत द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

भारत-नेपाल संबंधों का अवलोकन

- **साझी सीमा:** नेपाल की सीमा भारत के पाँच राज्यों—**सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड**—से लगती है।
  - स्थलरुद्ध राष्ट्र होने के कारण नेपाल वस्तुओं एवं सेवाओं के परिवहन तथा समुद्री पहुँच के लिए भारत पर अत्यधिक निर्भर है।
- **भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि, 1950:** वर्ष **1950** में हस्ताक्षरित यह संधि भारत-नेपाल के विशेष संबंधों की आधारशिला है।
  - इस संधि के प्रावधानों के अनुसार नेपाली नागरिकों को भारत में भारतीय नागरिकों के समान अनेक सुविधाएँ एवं अवसर प्राप्त हैं।
- **रक्षा सहयोग:** भारत, नेपाली सेना के आधुनिकीकरण में उपकरण उपलब्ध कराकर तथा प्रशिक्षण प्रदान करके सहयोग करता रहा है।
  - दोनों देश बारी-बारी से भारत और नेपाल में संयुक्त सैन्य अभ्यास **'सूर्य किरण'** का आयोजन करते हैं।
  - वर्ष 1950 से दोनों देश एक-दूसरे के **सेनाध्यक्षों को मानद जनरल की उपाधि** प्रदान करते रहे हैं।
  - भारतीय सेना की **गोरखा रेजिमेंटों** में आंशिक रूप से नेपाल के पर्वतीय जिलों से भर्ती की जाती है।
- **व्यापार एवं आर्थिक संबंध:** भारत नेपाल का सबसे बड़ा **व्यापारिक साझेदार और निवेशक** बना हुआ है।
  - नेपाल में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के भंडार में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग **33.5 प्रतिशत** है।
  - नेपाल, वर्ष 2014 में 28वें स्थान से बढ़कर भारत का **17वाँ सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य** बन गया है।
  - भारत से नेपाल को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा एवं इस्पात, ऑटोमोबाइल, मशीनरी तथा अनाज शामिल हैं।
- **संपर्क एवं विकास साझेदारी:** स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संपर्क अवसंरचना जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत नेपाल का सबसे बड़ा विकास सहयोगी है।
  - प्रमुख परियोजनाओं में **गौचर हवाई अड्डा (वर्तमान त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा)**, **पूर्व-पश्चिम राजमार्ग**, **सीमा-पार रेल संपर्क** तथा **एकीकृत जाँच चौकियों** की स्थापना शामिल हैं।
- **ऑपरेशन मैत्री एवं भूकंपोत्तर पुनर्निर्माण सहायता:** वर्ष 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सबसे पहले सहायता पहुँचाने वाला देश था।
  - भारत सरकार ने **'ऑपरेशन मैत्री'** के माध्यम से विदेश में अपना अब तक का सबसे बड़ा आपदा राहत अभियान संचालित किया।
- **सांस्कृतिक संबंध:** दोनों देशों के नेताओं ने समय-समय पर भारत-नेपाल के प्राचीन **'रोटी-बेटी' संबंधों** का उल्लेख किया है।
  - यह संबंध दोनों देशों के लोगों के बीच होने वाले सीमा-पार वैवाहिक एवं सामाजिक संबंधों को दर्शाता है।

अन्य चिंता के क्षेत्र

- **कार्यान्वयन में विलंब:** कुछ संपर्क एवं अवसंरचना परियोजनाओं की धीमी प्रगति ने समय-समय पर नेपाल में चिंताएँ उत्पन्न की हैं।
- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** नेपाल में चीन की बढ़ती आर्थिक एवं सामरिक उपस्थिति ने क्षेत्रीय भू-राजनीति तथा भारत की पड़ोस नीति को एक नया आयाम दिया है।
- **असमानता की धारणा:** नेपाल के राजनीतिक वर्ग एवं जनचर्चा के कुछ वर्गों ने द्विपक्षीय संबंधों में भारत की प्रमुख भूमिका को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं, जिसे प्राय: **'बिग ब्रदर' धारणा** कहा जाता है।
- **राजनीतिक संवेदनशीलताएँ:** दोनों देशों के आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रम तथा राष्ट्रवादी बयानबाजी समय-समय पर अविश्वास उत्पन्न कर द्विपक्षीय संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकती है।

- **जल संसाधन प्रबंधन:** साझा नदियों के प्रबंधन, जलविद्युत सहयोग तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से जुड़े मतभेद अभी भी घनिष्ठ समन्वय एवं निरंतर संवाद की अपेक्षा रखते हैं।

आगे की राह

- **कूटनीतिक संवाद का सुदृढ़ीकरण:** सीमा विवादों सहित लंबित मुद्दों का समाधान वर्तमान द्विपक्षीय तंत्रों तथा सतत कूटनीतिक संवाद के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- **संपर्क एवं व्यापार को प्रोत्साहन:** सीमा-पार अवसंरचना, रेल, सड़क एवं ऊर्जा संपर्क परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लाई जानी चाहिए।
- **ऊर्जा सहयोग का सुदृढ़ीकरण:** जलविद्युत विकास, सीमा-पार विद्युत व्यापार तथा पारेषण अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया जाना चाहिए।
- **पारस्परिक विश्वास को प्रोत्साहन:** नियमित उच्च-स्तरीय संवाद तथा एक-दूसरे की संप्रभुता एवं संवेदनशीलताओं के सम्मान के माध्यम से चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए।
- **जन-से-जन संबंधों का विस्तार:** शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों को सुदृढ़ कर प्राचीन **'रोटी-बेटी' संबंधों** को अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

Source: TH

भारत के रोजगार परिदृश्य का मानचित्रण

संदर्भ

- हाल के सार्वजनिक विमर्शों तथा युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों ने भारत में रोजगार के विषय पर पुनः ध्यान केंद्रित किया है।

रोजगार संकेतक

- **बेरोजगारी दर (UER):** बेरोजगारी दर श्रमबल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत को मापती है।
  - इसकी गणना सक्रिय रूप से रोजगार की खोज कर रहे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को कुल श्रमबल से विभाजित करके की जाती है।
- **श्रमबल सहभागिता दर (LFPR):** LFPR कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या के उस अनुपात को दर्शाती है जो या तो नियोजित है अथवा सक्रिय रूप से रोजगार की खोज कर रही है।
- **रोजगार दर (ER):** रोजगार दर कार्यशील आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के अनुपात को मापती है।

भारत में रोजगार की प्रमुख प्रवृत्तियाँ (2016-17 से 2025-26)

- **समग्र रोजगार दर में गिरावट:** भारत की रोजगार दर वर्ष 2016-17 में लगभग **42.7 प्रतिशत** से घटकर वर्ष 2025-26 में **38.7 प्रतिशत** रह गई।
  - यद्यपि नियोजित व्यक्तियों की संख्या लगभग **406 मिलियन** से बढ़कर **438 मिलियन** हो गई, किंतु रोजगार वृद्धि कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप नहीं रही।
- **लिंग-आधारित प्रवृत्तियाँ:** पुरुष रोजगार दर लगभग **70.5 प्रतिशत** से घटकर **64.8 प्रतिशत** हो गई।
  - महिला रोजगार दर लगभग **11.8 प्रतिशत** से घटकर **9.4 प्रतिशत** रह गई।
- **आयु-आधारित प्रवृत्तियाँ:** अधिकांश आयु वर्गों में रोजगार दर में गिरावट दर्ज की गई।
  - केवल **25–29 वर्ष** तथा **55–59 वर्ष** आयु वर्गों में मामूली सुधार देखा गया।
- **शैक्षिक समूहों पर प्रभाव:** सभी शैक्षिक स्तरों पर रोजगार दर में कमी आई।
  - यह गिरावट अपेक्षाकृत कम शिक्षित व्यक्तियों में अधिक तथा स्नातकों में तुलनात्मक रूप से कम रही।

रोजगार संबंधी चुनौतियों के प्रमुख कारण

- **रोजगारविहीन वृद्धि :** आर्थिक विकास मुख्यतः पूंजी-गहन क्षेत्रों में केंद्रित रहा है, जो सीमित रोजगार अवसर उत्पन्न करते हैं।
  - श्रम-गहन विनिर्माण क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार नहीं हो पाया, जिससे बढ़ते कार्यबल को समाहित करने में कठिनाई हुई।

- **संरचनात्मक परिवर्तन की चुनौतियाँ:** श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कम उत्पादकता वाली कृषि पर निर्भर है।
  - कृषि से विनिर्माण और आधुनिक सेवा क्षेत्रों की ओर संक्रमण अपेक्षा से धीमा रहा है।
- **कौशल असंगति :** शिक्षा व्यवस्था के परिणाम अक्सर उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते।
  - अनेक स्नातकों को औपचारिक योग्यताएँ होने के बावजूद उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- **वैश्वीकरण की धीमी गति:** बढ़ते संरक्षणवाद, व्यापारिक प्रतिबंधों तथा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने निर्यात-आधारित रोजगार अवसरों को सीमित किया है।
  - क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) से भारत के बाहर रहने के कारण कुछ क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं तक पहुँच सीमित हुई।
- **प्रौद्योगिकीय व्यवधान:** स्वचालन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) श्रम बाजारों को तीव्रता से परिवर्तित कर रहे हैं।
  - नियमित एवं दोहराव वाले कार्य तकनीकी प्रतिस्थापन के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं।
- **महिला श्रमबल सहभागिता का निम्न स्तर:** सामाजिक मान्यताएँ, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, अपर्याप्त बाल-देखभाल सुविधाएँ तथा वेतन असमानताएँ महिलाओं की श्रमबल सहभागिता को सीमित करती हैं।

केवल GDP वृद्धि की अपेक्षा रोजगार अधिक महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- GDP वृद्धि आर्थिक उत्पादन के विस्तार को दर्शाती है, किंतु यह स्वतः रोजगार सृजन की गारंटी नहीं देती।
- सतत रोजगार सृजन आय में वृद्धि करता है, निर्धनता को कम करता है, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है तथा घरेलू मांग को सुदृढ़ बनाता है।
- भारत के **जनसांख्यिकीय लाभांश** का लाभ उठाने के लिए रोजगार-प्रधान विकास अनिवार्य है।

रोजगार सृजन हेतु सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) परियोजना:** यह एक डिजिटल मंच है, जो रोजगार खोजने वालों को करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्र की रिक्तियों संबंधी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है।
- **ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs):** स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु उद्यमिता एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM):** कौशल विकास तथा स्वरोजगार सहायता के माध्यम से शहरी गरीबों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देता है।
- **पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi):** रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आजीविका समर्थन तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए बिना जमानत के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराती है।
- **पीएम विश्वकर्मा योजना:** पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को कौशल विकास, ऋण सहायता तथा बाजार संपर्क उपलब्ध कराकर उनकी आय एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि करती है।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बिना जमानत के ऋण उपलब्ध कराकर उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी रोजगार क्षमता तथा श्रमबल सहभागिता में सुधार करती है।

आगे की राह

- **विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन: मेक इन इंडिया** तथा **उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI)** जैसी पहलों को सुदृढ़ कर श्रम-गहन विनिर्माण एवं निर्यात का विस्तार किया जाना चाहिए।

- **कौशल विकास का सशक्तिकरण:** शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को उद्योगों की आवश्यकताओं, उभरती प्रौद्योगिकियों तथा भविष्य के रोजगार बाजारों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
- **वैश्विक मूल्य शृंखलाओं का लाभ उठाना:** बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए भारतीय उद्योगों को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से अधिक गहराई से जोड़ा जाना चाहिए।
- **रोजगारों के औपचारीकरण को प्रोत्साहन:** सामाजिक सुरक्षा कवरेज, श्रम संरक्षण तथा औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित करने वाले प्रोत्साहनों का विस्तार किया जाना चाहिए।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं स्वचालन:** रोजगार विस्थापन की चुनौतियों का प्रबंधन करते हुए कार्यबल को नए रोजगार अवसरों की ओर संक्रमण हेतु सक्षम बनाना आवश्यक है।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

अल नीनो

संदर्भ

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आधिकारिक रूप से भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में अल नीनो परिस्थितियों की शुरुआत की पुष्टि की है।

अल नीनो क्या है?

- अल नीनो मध्य-पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के समुद्री जल के असामान्य रूप से उष्ण होने की घटना है, जो प्रत्येक कुछ वर्षों के अंतराल पर घटित होती है।
- अल नीनो के दौरान भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के सतही तापमान में वृद्धि होती है तथा व्यापारिक पवनें , जो भूमध्य रेखा के निकट पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं।
- **प्रभाव:** अल नीनो के कारण उत्तरी अमेरिका और कनाडा में शुष्क एवं अपेक्षाकृत गर्म सर्दियाँ देखने को मिलती हैं।
    - इससे अमेरिका के खाड़ी तटीय क्षेत्रों तथा दक्षिण-पूर्वी भागों में बाढ़ का जोखिम बढ़ जाता है।
    - यह इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न करता है।
    - अल नीनो वाले वर्षों में भारत में सामान्यतः तापमान अधिक रहता है तथा वर्षा में कमी आती है, जिससे कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
    - इसका प्रतिकूल प्रभाव कृषि, जल संसाधनों तथा पारिस्थितिक तंत्रों पर पड़ता है।

THE EL NIÑO PHENOMENON

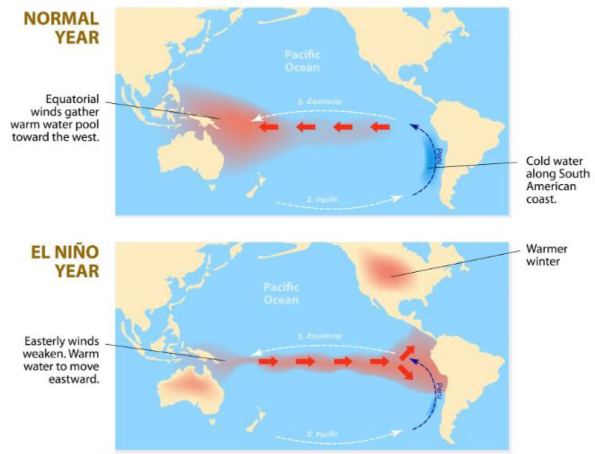

स्रोत: HT

एस्टोनिया

संदर्भ

- एस्टोनिया की सरकार तथा व्यावसायिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भारत के साथ रक्षा एवं व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में अधिक रुचि व्यक्त की है।

परिचय

- एस्टोनिया उत्तर-पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है तथा यह तीन बाल्टिक देशों में सबसे उत्तरी देश है।
    - एस्टोनिया के क्षेत्र में लगभग 1,500 द्वीप एवं टापू शामिल हैं।
    - इनमें सारेमा और हियूमा सबसे बड़े द्वीप हैं, जो एस्टोनिया के मुख्य भूभाग के पश्चिमी तट से दूर स्थित हैं।
    - इसके पूर्व में रूस तथा दक्षिण में लातविया स्थित है।

- **आधिकारिक भाषा:** एस्टोनियाई
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** एस्टोनिया वर्ष 1991 तक सोवियत संघ का एक गणराज्य था।
    - वर्ष 1991 में अन्य बाल्टिक देशों के साथ इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।
    - इसके पश्चात इसने व्यापक यूरोपीय एकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए तथा वर्ष 2004 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) और यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य बना।
- **विशेषताएँ:** एस्टोनिया को विश्व के सर्वाधिक डिजिटल रूप से उन्नत देशों में से एक माना जाता है।
    - यहाँ व्यापक स्तर पर ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाएँ तथा इलेक्ट्रॉनिक मतदान की व्यवस्था उपलब्ध है।

स्रोत: TH

प्रोजेक्ट कुशा

संदर्भ

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा वायु रक्षा प्रणाली को भारत की सुरक्षा संरचना के लिए एक संभावित गेम-चेंजर बताया है।

प्रोजेक्ट कुशा क्या है?

- प्रोजेक्ट कुशा एक दीर्घ-मार्गी स्वदेशी सतह-से-वायु प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों के विरुद्ध बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रदान करना है।
- यह प्रणाली रूस की उन्नत एस-400 ट्रायम्फ जैसी प्रणालियों की क्षमता के समकक्ष विकसित की जा रही है।
- इंटरसेप्टर संस्करण:
    - **M1 इंटरसेप्टर:** लगभग 150 किमी की मारक क्षमता।
    - **M2 इंटरसेप्टर:** लगभग 250 किमी की मारक क्षमता।
    - **M3 इंटरसेप्टर:** लगभग 350–400 किमी की मारक क्षमता।
- **क्षमताएँ:** यह प्रणाली निम्नलिखित खतरों का मुकाबला करने में सक्षम होगी—
    - लड़ाकू विमान, जिनमें स्टील्थ विमान भी शामिल हैं।
    - ड्रोन।
    - क्रूज़ मिसाइलें।
    - सटीक-निर्देशित आयुध।
    - कुछ प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलें।
- **मिशन सुदर्शन चक्र से संबंध:** यह परियोजना "मिशन सुदर्शन चक्र" से भी जुड़ी हुई है।
    - इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2035 तक भारत के लिए एक बहु-स्तरीय वायु एवं मिसाइल रक्षा कवच विकसित करना है।
- **विकास की वर्तमान स्थिति:** वर्ष 2023 में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय वायुसेना के लिए पाँच स्क्वाड्रनों की खरीद हेतु आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्रदान की थी।
    - इसके परिचालन तैनाती की संभावना 2028 से 2030 के बीच व्यक्त की गई है।

स्वदेशी एआई मॉडल 'वार्या' (Varya)

संदर्भ

- इंडियाएआई मिशन के समर्थन से अवतार (Avataar) द्वारा विकसित स्वदेशी एआई-संचालित वीडियो जनरेशन मॉडल **'वार्या' (Varya)** का शुभारंभ किया गया है।

वार्या (Varya) क्या है?

- वार्या एक **डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन मॉडल** है, जो पाठ्य प्रॉम्प्ट तथा चित्रों को वीडियो में परिवर्तित करता है।

- **मॉडल डिस्टिलेशन** एक मशीन लर्निंग तकनीक है, जिसमें एक बड़े एआई मॉडल के आउटपुट का उपयोग करके एक छोटे एआई मॉडल को प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वह कम संगणनात्मक लागत, तीव्र प्रसंस्करण तथा कम ऊर्जा खपत के साथ समान प्रदर्शन प्रदान कर सके।
- इसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों, त्योहारों, परंपराओं, परिधानों, खाद्य संस्कृति तथा दैनिक जीवन को प्रतिबिंबित करने वाली सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक दृश्य सामग्री उत्पन्न करने के लिए विकसित किया गया है।
- यह मंच **"आइडिया से वीडियो और वीडियो से कहानी"** कार्यप्रवाह का अनुसरण करता है, जिससे उपयोगकर्ता सरल प्रॉम्प्ट के माध्यम से दृश्य कथाओं का निर्माण एवं विस्तार कर सकते हैं।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - वीडियो निर्माण के चरणों को **50 से घटाकर मात्र 4** कर देता है, जिससे दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
  - अनुमानित रूप से **₹0.48 प्रति सेकंड** की लागत पर वीडियो तैयार करता है।
  - दावा किया गया है कि यह कई प्रमुख वैश्विक वीडियो-जनरेशन मॉडलों की तुलना में **लगभग 10 गुना अधिक लागत-कुशल** है।

स्रोत: AIR

निकोबार के पश्चिमी तट पर प्रवाल (Coral) स्थानांतरण हेतु चार स्थलों की पहचान

संदर्भ

- ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) मेगा परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित **गलाथिया खाड़ी** ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के निर्माण से प्रभावित होने वाले प्रवाल उपनिवेशों) तथा विशाल शंखों को पश्चिमी तट के चार स्थलों पर स्थानांतरित किया जाएगा।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना

- इस परियोजना को वर्ष **2022 में चरण-I स्वीकृति** प्राप्त हुई थी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** पोर्ट ब्लेयर स्थित **अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCO)**।
- परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित अवसंरचनाओं का विकास प्रस्तावित है:
  - अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT)
  - अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
  - टाउनशिप विकास
  - 450 MVA क्षमता का गैस एवं सौर ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र
- ICTT तथा विद्युत संयंत्र के लिए चयनित स्थल **ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण-पूर्वी कोने में स्थित गलाथिया खाड़ी** है, जहाँ कोई मानव बस्ती नहीं है।

प्रवाल क्या हैं?

- प्रवाल अकशेरुकी जीव हैं, जो **निडेरिया** नामक बड़े जीव समूह से संबंधित हैं।
- प्रवाल अनेक छोटे एवं कोमल जीवों, जिन्हें **पॉलिप** कहा जाता है, से मिलकर बनते हैं।
- ये अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर **कैल्शियम कार्बोनेट** का कठोर बाह्य कंकाल निर्मित करते हैं।
- लाखों सूक्ष्म पॉलिपों द्वारा निर्मित विशाल कार्बोनेट संरचनाएँ ही **प्रवाल भित्तियाँ** कहलाती हैं।
- **स्वरूप एवं रंग:** प्रवालों का रंग लाल, बैंगनी तथा नीला तक हो सकता है, किन्तु सामान्यतः ये भूरे एवं हरे रंग के होते हैं।
  - उनकी चमक एवं रंगीनता का मुख्य कारण **ज़ूक्सैन्थेली** नामक सूक्ष्म शैवाल होते हैं।
- प्रवाल भित्तियों के प्रकार:
  - **फ्रिंजिंग रीफ** – तटरेखा के साथ विकसित होती हैं।
  - **बैरियर रीफ** – खुले समुद्री जल में विकसित होती हैं।
  - **एटोल** – डूबे हुए ज्वालामुखियों के चारों ओर निर्मित वृत्ताकार प्रवाल भित्तियाँ।
- भारत में प्रवाल भित्तियों का वितरण:
  - कच्छ की खाड़ी
  - मन्नार की खाड़ी

- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
- लक्षद्वीप द्वीप समूह
- मालवन (महाराष्ट्र)

- **महत्व:** प्रवाल भित्तियाँ समुद्री जैव विविधता का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार हैं। वे विश्व के लगभग **एक-चौथाई समुद्री जीवों** को भोजन, आश्रय, विश्राम एवं प्रजनन स्थल उपलब्ध कराती हैं।
  - ये महत्वपूर्ण जैव विविधता की रक्षा हेतु **नर्सरी एवं शरणस्थली** के रूप में कार्य करती हैं।
  - विश्वभर के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले **1 अरब से अधिक लोगों** को भोजन, आजीविका एवं मनोरंजन के अवसर प्रदान करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

स्रोत: IE

■■■

NEXT IAS